न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा ।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-15/2019-20

किशोरी पासवान..... आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा.....विपक्षीगण

अनुसूची 14-फारम संख्या 563

आदेश की कम संख्या और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । 3
20/03/2020	प्रस्तुत वाद आवेदक किशोरी पासवान पिता-स्व0 झरी पासवान साकिन-पोसनपुरा कबीरचक अंचल-सदर दरभंगा के द्वारा जमाबंदी सं0-981 को रद्द करने हेतु दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की गई जो अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0-2071/2013-14 का मूल अभिलेख भी भेजा गया जो अभिलेखबद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा मथुरापुर अंतर्गत खाता 87 खेसरा 24 रकवा 20 कट्ठा जमीन आवेदक की थी जिसका जमाबंदी सं0-168 कायम थी। उपरोक्त 20 कट्ठा जमीन में से आवेदक के द्वारा कुल 0-4-12¼ धुर बिक्री किया गया एवं शेष 0-15-7¾ धुर जमीन आवेदक के दखल में रह गया एवं जमाबंदी नं0-168 कायम रहा। आगे उनका कहना है कि दिसम्बर 2018 में अंचल कार्यालय में जब वे रसीद कटाने गये तो उन्हें जानकारी मिली कि जमाबंदी सं0-168 में मात्र 0-14-7¾ धुर जमीन रह गया। सूचना के अधिकार अंतर्गत सूचना की मांग किया गया। अंचल कार्यालय द्वारा सूचना दी गई और जानकारी दी गई कि जमाबंदी सं0-976 एवं 981 दोनों बनाम रीता देवी दोहरी प्रविष्टि हो जाने के कारण 1 कट्ठा जमीन कम हो गया है। तब इन्होंने अंचल कार्यालय में 1 कट्ठा जमीन जमाबंदी सं0-168 में जोड़ने हेतु आवेदन दिया। अंचल कार्यालय द्वारा जमाबंदी सं0-981 को स्थगित कर दिया गया, लेकिन जमाबंदी सं0-168 में 1 कट्ठा जमीन सम्मिलित नहीं किया गया। आगे उनका कहना है कि रीता देवी के नाम दोहरी प्रविष्टि हो जाने एवं अंचल अधिकारी के स्वीकृति के कारण रीता देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा जमाबंदी सं0-981 को रद्द करते हुए 1 कट्ठा जमीन जमाबंदी सं0-168 में सम्मिलित कर देना चाहिये था, जो नहीं किया गया। जमाबंदी सं0-981 बनावटी है जो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः जमाबंदी सं0-981 को रद्द करते हुए 1 कट्ठा जमीन जमाबंदी सं0-168 में सम्मिलित करने का आदेश अंचल	

अधिकारी को दिया जाय।

अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक-1489 दिनांक-20.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी-II में जमाबंदी सं0-976 एवं 981 दोनों बनाम रीता देवी का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	जमाबंदी सं0	रैयत	वाद सं0
मथरापुर/498	976	रीता देवी पति-ललित मोहन ठाकुर	2071/13-14
	981	रीता देवी पति-ललित मोहन ठाकुर	

एक ही वाद सं0-2071/2013-14 से दोनों जमाबंदी कायम हुई है जो भूलवश जमाबंदी नं0-981 गलत है। अतः जमाबंदी सं0-981 को अस्वीकृत किया जा सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख सं0-2071/2013-14 के अवलोकन एवं परिशीलन करने से स्पष्ट है कि रीता देवी के नाम कायम किया गया जमाबंदी सं0-981 विधि विरूद्ध है एवं बनावटी है। उक्त अभिलेख में कलम से Manupulating किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 में वर्णित प्रावधान के विरूद्ध आवेदक की सहमति के बिना दाखिल खारिज कर जमाबंदी सं0-981 बनाम रीता देवी कायम कर दी गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः दाखिल खारिज वाद सं0-2071/2013-14 द्वारा मौजा मथुरापुर में सृजित जमाबंदी सं0-981 को रद्द करते हुए पूर्व के जमाबंदी 168 में रकवा 1 कट्ठा को सम्मिलित करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करते हुए इस आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित ।

20/3/20

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।

20/3/20

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।